न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 101 / 2019

उनवान

1. श्रीकिशन उर्फ हरिकिशन
2. मल्ला पुत्र हरचन्द
3. श्रीराम पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम मोराझडी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. छगना पुत्र लादू
2. नीला पत्नी सुखपाल
3. राम सिंह पुत्र छगना
4. सुरजकरण पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम मोराझडी, नसीराबाद
5. मैनेजर आईसीआईसीआई नसीराबाद
6. उप पंजीयक, नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 5 अनुपस्थित
6 व 7 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :–21.9.21

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साम्प्रोदा की निम्न आराजी वादीगण की कयशुदा है :–

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
1498	2–9–0	1608	2–9–10	280	0.37
1499	4–9–10	1609	4–9–10	281	0.37
				282	0.38

उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 1498, 1499 [illegible] 95 कुल रकबा 18–13–10 में से 12–0–0 भूमि हरिकिशन पुत्र लाला व हरचन्द पुत्र अ[illegible] छगना पुत्र घासी जाट द्वारा दिनांक 21.07.1967 को लादू पुत्र हरदे[illegible] कर लिया [illegible]किशन मल्ला पुत्र लाला वादी संख्या 1 है। तथा हरचन्द पुत्र अर्जुन [illegible] की मृत्यु हो गयी जिसके [illegible] मल्ला

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पुत्र हरचन्द वादी संख्या 2 है। केता छगना पुत्र घासी की मृत्यु हो गयी है के वारिस पत्नी हरकू व पुत्र श्रीराम में से पत्नी हरकू की मृत्यु हो गयी है तथा पुत्र श्रीराम वादी संख्या 3 है। विकेता लादू पुत्र हरदेव की मृत्यु हो गय है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 है। चौसाला खसरा नम्बर 1495 रकबा 18–13–10 मे से 12 बीघा भूमि के वर्किंग खसरा नम्बर 1605 के हाल खसरा नम्बर 258 रकबा 1.32 व 259 रकबा 0.62 भूमि सही रूप से खातेदारी दर्ज कर दी गयी। किन्तु चौसाला खसरा नम्बर 1498 रकबा 2–9–10 व 1499 रकबा 4–9–10 के वर्किंग खसरा नम्बर 1608 व 1609 तथा नवीन खसरा नम्बर 280/0.37, 281/0.37, 282/0.38 को बैनामें की रूह से वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 व 3 के पिता ने चौसाला खसरा नम्बर 1498 रकबा 2–9–10, 1499 रकबा 4–9–10 पूर्ण रकबा व चौसाला खसरा नम्बर 1495 रकबा 18–13–10 में से 12–0–0 भूमि का बैचान लादू पुत्र हरदेव ने दिनांक 21.07.67 को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र किया था। विक्रय दिनांक को आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2020–25 में लादू पुत्र हरदेव के नाम खातेदारी दर्ज थी। वर्किंग जमाबी मेंउक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। तथा हाल जमाबंदी में ख्सरा नम्बर 280, 281 व 282 प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा वादीगण/पूर्वज की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। पंजीकृत दस्तावेज की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा विक्रय पत्र के अनुसार केता/वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु बंदाबस्त विभाग/राजस्व कार्मिको द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त आराजी पर लिया गया ऋण वादीगण के हितो पर अप्रभावी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है।

अतः ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 0.37, 281 रकबा 0.37 व 282 रकबा 0.38 की आराजी पर की आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

श्रीकिशन बनाम छगना

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 101/2019

पेश करने की दिनांक – 27.08.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर सीताराम रावत अभिभाषक मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 0.37, 281 रकबा 0.37 व 282 रकबा 0.38 की आराजी पर की आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 22 माह 09 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner